कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 3(126)एसीआर/निकाशि/07/ 132-288 दिनांकः– 27.4.11

1 समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,/राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

2 प्राचार्य,
राजस्थान स्कूल आफ आर्ट/संगीत संस्थान, जयपुर।

3 समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

विषयः– अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 1–1–2011 व उसके पश्चात्‌वर्ती वर्षो की अचल सम्पत्ति का विवरण सार्वजनिक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारियों एवं अधिनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों को कार्मिक विभाग परिपत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक/क–/गो.प्र./2011 दिनांक 14–4–11 (प्रति संलग्न) के अनुसार पालना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30–4–11 तक सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

Urgent
J.D.(P)
26/4/11

Circulate among all Gazetted Officers

राजस्थान सरकार,
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 — जयपुर, दिनांक 14 APR 2011

परिपत्र

विषयः– अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति का विवरण 1.1.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया है । जो अधिकारी उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा । यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होंगे । अतएवं उक्त सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 के लिए (1.1.2011 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पति विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.4.2011 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावें ।

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावें ।
2. अधिनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावें ।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों (जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावें ।

राज्य सेवा अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण जो निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होंगे उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा सार्वजनिक किया जावेगा तथा अधिनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा तथा निगम, बोर्ड, सभी स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों की सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक किए जायेगें । उक्त सूचना सार्वजनिक किए जाने की प्रक्रिया दिनांक 31.5.2011 तक पूरी करनी होगी ।

Most Urgent
AD(P)
26/4/11

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारी एवं अधिनस्थ सेवाओं के सभी

राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपकमों में कार्यरत अधिकारियो को दिनांक 30.4.2011 तक अपनी अचल सम्पति विवरण उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें ।

उपर्युक्त बिन्दु 1, 2 व 3 में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की जावेगी तो उनकी विजीलेन्स क्लीयरेन्स नहीं दी जायेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ नहीं दिया जावेगा ।

संलग्नः प्रपत्र

14/4/11
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राज.
9.रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव

वर्ष.............................(1 जनवरी..................................को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण ....

1. अधिकारी/कार्मिक का नाम तथा पद जिससे वह संबंधित है : ....

2 वर्तमान मे धारित पद ....

3. किस सेवा संवर्ग से है ....

4. वर्तमान वेतन ....

उस जिले उप–खण्ड तहसील तथा गाँव का नाम जिसमे सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा नूने अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नहीं है तो बताएं कि वह किसके नाम में धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है।	कैसे अर्जित की। यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकार दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई हो तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है।	सम्पत्ति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर..

दिनांक..